झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक इंटरमीडिएट (विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय) परीक्षा, 2020 के परीक्षाफल में संशोधन एवं उत्तरपुस्तिकाओं के पुनरीक्षण से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 22/2020

एतद् द्वारा सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा–2020 के विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के जिन छात्रों के अंक पत्रक में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Witheld, Incomplete, Absent है वे संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में **दिनांक 31.08.2020** तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। **निर्धारित तिथि के उपरान्त परीक्षाफल संशोधन हेतु कोई भी आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

उक्त आवेदन परिषद् कार्यालय, राँची, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में निर्धारित अवधि तक जमा लिये जायेंगे।

(2) साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा–2020 के जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्क्रूटनी के लिए अपना आवेदन दिनांक **01.08.2020 से 31.08.2020** तक झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के वेबसाइट (www.jac.jharkhand.gov.in) के माध्यम से जमा करेंगे। स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा करने की विधि निम्नवत् होगी –

* परिषद् के वेबसाइट पर स्क्रूटनी के लिए देय ऑनलाइन प्रपत्र में अपना पंजीयन करेंगे एवं वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा–निर्देश के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरेंगे।
* प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क 500/– (पाँच सौ) रूपये सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से देय होगा। अधिकतम तीन विषयों का पुनरीक्षण अनुमान्य है।
* **ऐसे छात्र/छात्रायें जो इंजीनियरिंग/मेडिकल आदि संस्थाओं में प्रवेश प्रतियोगिता के आधार पर या स्पेशल रूप में त्वरित प्रक्रिया के तहत स्क्रूटनी हेतु आवेदन देना चाहते हैं, उनके लिए प्रति विषय ₹1000/- की दर से शुल्क ऑनलाइन माध्यम से देय होगा।**

i). **स्क्रूटनी में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा:-**

(क) अंदर के पृष्ठों में आवंटित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जायेगा।

(ख) अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जायेगा।

(ग) अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जायेगा।

(घ) स्क्रुटनी के लिए आवेदन देनेवाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रुटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नोत्तर का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

ii). **निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक द्वारा भेजा गया स्क्रूटनी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(महीप कुमार सिंह)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मा.गो./5382/10-SECY/234/20
Dt.- 23.07.2020
D.O.P.- 24.07.2020